शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका

जिला सूरजपुर, छ.ग.

Hello : 07777 271303

छात्र/छात्रा का पूरा नाम : ....

आत्मज/आत्मजा श्री : ....

कक्षा :			विषय :
(1)	बी.ए.	....	(1) ....
(2)	बी.कॉम.	....	(2) ....
(3)	बी.एस–सी.	....	(3) ....
(4)	एम.ए.	....	(4) ....
			(5) ....

विवरणिका

Session : 2021 - 22

टीप :

1. शिक्षण सत्र दिनांक 01 अगस्त, 2021 से प्रारंभ होगी।
2. अवधान राशि (काशन मनी) देय होने पर उसकी मूल रसीद जमा करने के पश्चात् कमीशन काटकर मनीऑर्डर द्वारा घर के पते पर भेजी जायेगी।
3. प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र/छात्राएं अपना प्रवेश रसीद प्रस्तुत कर अपना परिचय–पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड अनिवार्यतः बनवा लें।
4. महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन–पाठन में छात्रों का सहयोग आवश्यक है। महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
5. अ.ज.जा./अ.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन निर्धारित समय पर जमा करें। विलम्ब से जमा किये गये आवेदनों पर विलम्ब से ही विचार किया जावेगा।
6. परीक्षा घोषित होने के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर लें। विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
7. प्रवेश गुणानुक्रम के आधर पर ही दिया जावेगा। जो आवेदक वाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
8. अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन, हड़ताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये जाने पर छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

सत्र : 2021–22 **मूल्य : 25.00 रुपये**

GOVT. KALIDAS COLLEGE PRATAPPUR, DISTRICT – SURAJPUR, C.G.

प्रो. रजनीश प्रसाद सिंह : प्राचार्य (प्रभारी)

शैक्षणिक स्टॉफ (नियमित)

प्रो. रजनीश प्रसाद सिंह : सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र

प्रो. गोपीश्वर साय : सहायक प्राध्यापक, भूगोल

श्रीमती कुसुमलता प्रजापति : सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

कार्यालयीन स्टॉफ / प्रभार

श्रीमती मक्सिमा एक्का, सहायक ग्रेड 2 : स्थापना शाखा / लेखा शाखा

श्री मनोज चन्देल, प्रयोगशाला परिचारक : लेखा शाखा में सहायक / प्रयोगशाला

श्री रामजीत प्रजापति, सपोर्टिंग स्टॉफ (ज.भा.) : छात्र शाखा / ऑनलाईन कार्य

श्री जोगेश कुमार, सपोर्टिंग स्टॉफ (ज.भा.) : छात्र शाखा / छात्रवृत्ति / सूचना क्रांति

श्री भोला राम, स्वीपर : मूल कार्य के साथ कोषालय वाहक / छात्र शाखा

कुमारी स्वाति किण्डो, भृत्य : मूल कार्य के साथ आवक–जावक

श्री अखिलेश तिवारी, बुक लिफ्टर

श्री देवनारायण राम, चौकीदार

श्री राहुल कुमार, भृत्य (ज.भा.)

श्री अजय कुमार, भृत्य (ज.भा.)

महाविद्यालयीन जनभागीदारी समिति

माननीय श्री मुकेश गर्ग जी, : अध्यक्ष

तहसीलदार प्रतापपुर : उपाध्यक्ष

प्राचार्य, शासकीय कालिदास स्नातक महाविद्यालय प्रतापपुर : सदस्य सचिव

महाविद्यालयीन में अध्ययन हेतु विषय

कला स्नातक

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य), **पर्यावरण अध्ययन** (प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य),

हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल

वाणिज्य स्नातक

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य), **पर्यावरण अध्ययन** (प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य),

समस्त अनिवार्य विषय

विज्ञान स्नातक

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य), **पर्यावरण अध्ययन** (प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य),

वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित

कला स्नातकोत्तर

हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए

मार्गदर्शी सिद्धान्त, सत्र 2021–22

(1) प्रयुक्ति : ये सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के प्रत्येक महाविद्यालय में लागू होंगे।

(2) प्रवेश की तिथि : (2.1) प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जारी करना : शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र उस दिनांक तक जमा किये जायेंगे जैसा कि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तय किया जावे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगायी जावेगी। (2.2) प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना : 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे।

(2.3) विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दशा में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना : मुख्य परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की दशा में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि संस्था में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के 10 दिन तक होगी। (2.4) पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना : पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम घोषित होने से 15 दिन तक विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात्, यदि गुणानुक्रम में आता है, तो प्रवेश दिया जावेगा।

(3) प्रवेश संख्या : प्रत्येक कक्षा के लिए संख्या यदि विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित न की गई हो, तो प्राचार्य महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संख्या का निर्धारण करेंगे।

(4) प्रवेश हेतु चयन–सूची छात्रों द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत सहित, सूचना–पटल पर लगाई जायेगी, जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना भी दी जायेगी। शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रगवेश माना जावेगा। स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ही स्वीकार होगी। प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात्, आयुक्त, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत ही दी जा सकेगी।

(5) प्रवेश की पात्रता : (5.1) प्रवेश, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के महायोग पर गुणानुक्रम से किया जावेगा, किन्तु 40 प्रतिशत से कम स्नातक स्तर पर तथा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा, किन्तु उपरोक्तानुसार प्रवेश के लिये छात्र उपलब्ध न होने पर गुणानुक्रम के आधार पर न्यूनतम अंक–सीमा से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CBSE) से उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए +2 की परीक्षा में भाषा तथा तीन उन्हीं विषयों के प्राप्तांकों का महायोग किया जायेगा, जिस संकाय में छात्र प्रवेश लेना चाहता है। उदाहरणार्थ – गणित समूह के केवल गणित तथा जिस भाषा में अधिकतम अंक मिला हो, उस भाषा के अंकों को ही महायोग में सम्मिलित माना जायेगा। इस प्रकार 3 ऐच्छिक एवं 1 अनिवार्य भाषा के अंक के आधार पर गुणानुक्रम निश्चित किया जायेगा।

(6) अधिभार : (6.1) गुणानुक्रम निर्धारित करते समय अधिभार का आशय प्राप्तांकों के आधार पर अधिभार से है। यह अधिभार निम्नानुसार दिया जायेगा, किन्तु एक से अधिक प्रकार का अधिभार नहीं दिया जायेगा :–

(एक)	एन.सी.सी	'ए' सर्टिफिकेट के आधार पर	2 प्रतिशत
		'बी' सर्टिफिकेट के आधार पर	2 प्रतिशत
		'सी' सर्टिफिकेट के आधार पर	3 प्रतिशत
(दो)	राज्य स्तरीय संचालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिताओं में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को		3 प्रतिशत
(तीन)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में एन.सी.सी./एन.एस.एस. के कन्टिन्जेन्ट के रुप में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को		5 प्रतिशत
(चार)	एन.एस.एस.	'ए' सर्टिफिकेट के आधार पर	2 प्रतिशत
		'बी' सर्टिफिकेट के आधार पर	2 प्रतिशत
		'सी' सर्टिफिकेट के आधार पर	3 प्रतिशत
(पांच)	शासकीय महाविद्यालय में ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में उसी विषय में प्रवेश लेने पर		10 प्रतिशत

(7) विशेष प्रोत्साहन :

(7.1) जिसने एशियाई/स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उन्हें बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में, उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये, जिसकी उन्हें पात्रता हो, परन्तु इस प्रकार की सुविधा को पुनः प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा। (7.2) जिसने भारतीय विश्वविद्यालय के संघ (AIU) द्वारा आयोजित, शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा

आयोजित, राज्य स्तर पर खेल–कूद प्रतियोगिता तथा लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. शासन द्वारा आयोजित अंचल खेल–कूद प्रतियोगता में भाग लेने वालों को नियमानुसार निम्नलिखित अधिभार दिया जायेगा :–

1.	गोल्ड मेडलिस्ट/प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को	20 प्रतिशत
2.	सिल्वर मेडलिस्ट/द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
3.	ब्राउन मेडलिस्ट/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	12 प्रतिशत
4.	केवल भाग लेने वाले को	10 प्रतिशत

अंकों का अधिभार केवल एक ही आयटम के लिये होगा। प्राप्तांकों का अधिभार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को देय होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हैं। (7.3) भारतीय प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा भोपाल में विस्थापित छात्रावास में प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा।

(8) संकाय परिवर्तन : यदि काई छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय परिवर्तन कर प्रवेश चाहे, तो जहां विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा प्रावधान हो वहां प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत अंक घटाकर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 अगस्त तक ही दी जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति शासन के अनुमोदन उपरांत ही दी जा सकेगी।

(9) पुनः प्रवेश : किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीत्र में अध्ययन छोड़ देने वाले छात्र/छात्रा एवं एक बार प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(10) आयु सीमा : (10.1) सामान्य छात्रों के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा : जिन विषयों में स्वाध्यायी रुप से परीक्षा देने का प्रावधान है, उनमें स्नातक स्तर पर 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सभी छात्राओं, अ.ज.जा., अ.जा., अ.पि.व. के आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। (10.2) आयु की गणना उस सत्र की 1 जुलाई के आधार पर की जायेगी।

(11) आरक्षण : (11.1) शासन की आरक्षण नीति के अनुसार स्थान (SEATs) आरक्षित होंगे। (11.2) अ.जा. एवं अ.ज.जा. के छात्र/छात्राओं के लिए क्रमशः 15 एवं 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। (11.3) विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्य/पुत्र/पुत्री/प्रपौत्री के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। केवल विकलांग वर्ग की छात्राओं को प्राप्त अंको पर 10 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा। (11.4) आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान सामान्य वर्ग के छात्रों से गुणानुक्रम के आधार पर भरे जायेंगे। सर्वप्रथम नियमित उत्तीर्ण छात्र, तत्पश्चात् एक विषय में पूरक प्राप्त नियमित छात्र तथा फिर भी स्थान रिक्त रहे तो पात्रता के आधार पर भूतपूर्व उत्तीर्ण और बाद में स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

(12) अस्थायी प्रवेश : जिन छात्रों को +2 परीक्षा में पूरक प्राप्त हुई है, उन्हें स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इसी प्रकार जिन छात्रों को स्नातक परीक्षा में पूरक प्राप्त हुई है, उन्हें स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं मिलेगा। किन्तु स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक आये छात्र/छात्राओं को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा, बशर्ते कि कक्षा में स्थान रिक्त हो। यह प्रवेश गुणानुक्रम में ही होगा।

(13) प्रवेश का नवीनीकरण : पूर्व सत्र के नियमित प्रवेश प्राप्त छात्रों को स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर अंतिम वर्ष में बिना गैप का प्रवेश नवीनीकरण माना जायेगा।

(14) महाविद्यालय में प्रवेश होने के पश्चात् (किसी भी समय) यदि आवश्यक हुआ, तो छात्र/छात्राओं को उसी शहर के अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(15) अर्हता : ऐसे छात्र/छात्रायें, जिनके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध नकल के प्रकरण प्रमाणित हों तथा जिन पर अन्य छात्रों या शिक्षकों/अधिकारियों से मार–पीट करने जैसे गंभीर आरोप हों, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने, महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। जाली प्रमाण–पत्र, गलत जानकारी, जान–बूझकर छुपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश, यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार 1 माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है। प्रवेश के बाद सत्र के दौरान प्रवेश नियमों में वर्णित अनुशासनहीनता के कारणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।

(16) विशेष : (16.1) इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्याख्या में शंका होने की स्थिति में शंकाओं का निराकरण आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा किया जा सकेगा। (16.2) इन सिद्धान्तों में वर्णित परिस्थितियों के अलावा विशिष्ट परिथिति निर्मित होने पर उच्च शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। (16.3) शासन के नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्त प्राप्त होने तथा उपर्युक्त नियमों में अन्तर होने पर शासन के नवीनतम् नियम लागू होंगे।

आवेदन–पत्र क्रमांक :

कक्षा : ....

वर्ग : सामान्य / अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / अन्य

पुरुष / महिला / तृतीय लिंग, ब्लड ग्रूप : ....

शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर

जिला सूरजपुर, छ.ग.

ADMISSION FORM

2021-22

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका

1. आवेदन का नाम (हिन्दी में) : ....

(IN ENG. BLOCK LETTER) : ....

2. पिता का नाम श्री ....

माता का नाम श्रीमती ....

जाति : .... धर्म : .... व्यवसाय : .... वार्षिक आय : ....

3. पिता जीवित न हों तो पालक का नाम श्री ....

4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में) : ....

(शब्दों में) : ....

5. आवेदक का स्थायी पता : ....

.... दूरभाष / मोबाइल नम्बर : ....

6. आवेदक का स्थानीय पता : ....

.... दूरभाष / मोबाइल नम्बर : ....

7. कक्षा, जिसमें प्रवेश चाहिए : ....

विषय : 1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. ....

8. अर्हकारी परीक्षा का नाम : .... समूह का नाम : .... उत्तीर्ण वर्ष : ....

प्राप्तांक / पूर्णांक : .... प्रतिशत : .... बोर्ड / वि.वि. : ....

प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन / जाँचोपरान्त अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है। दिनांक .... तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर अनुशंसा स्वमेव निरस्त हो जावेगी। प्रवेश संयोजक	**कार्यालयीन उपयोग हेतु** शासकीय शुल्क रसीद क्र. .... राशि .... अशासकीय शुल्क रसीद क्र. .... राशि .... दिनांक .... शुल्क लिपिक

9. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि : ....

10. शिक्षण संस्था, जिसमें गत वर्ष अध्ययन किया : ....

11. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुये हैं ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।

....

....

12. अर्हताकारी परीक्षा :

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड / विश्वविद्यालय

13. सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर का नामांकन क्रमांक (यदि हो तो) : ....

14. खेल–कूद / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का विवरण : ....

....

15. आवेदक यदि सेवारत हो तो पद का नाम : .... कार्यालय : ....

(नियोक्ता का अनापत्ति पमाण–पत्र प्रस्तुत करें)

16. सहोदर शुल्क मुक्ति की पात्रता हो तो, सहोदर का नाम : ....

प्रवेश रसीद क्रमांक : .... दिनांक : .... राशि : ....

(प्रवेश रसीद का सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम : ....

संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
3. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित फोटोप्रति (तीन प्रतियों में)।
4. 10 वीं उत्तीर्ण की अंकसूची की सत्यापित फोटोप्रति (दो प्रतियों में)।
5. अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / अन्य से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।
6. अन्य प्रमाण–पत्र : ....

....

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं .... ने, महाविद्यालय के नियमों, विनियमों एवं आचार संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अवस्था में अनुशासनहीनता व हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय के देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगा/रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो इसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया/पायी गयी, तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मैं महाविद्यालय में नियमित रुप से उपस्थित रहूंगा/रहूंगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर महाविद्यालय से जो भी दण्ड दिया जावेगा, मुझे स्वीकार है।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम : ....

पिता/पालक का घोषणा–पत्र

मैं .... , यह घोषित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य .... (नाम) द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों, विनियमों एवं आचार संहिता का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिन्दनी प्रगति और व्यवहार के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिये मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

स्थान : ....

पिता/पालक के हस्ताक्षर

दिनांक : ....

पूरा नाम : ....

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... आत्मज/आत्मजा श्री .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं न तो रैगिंग लूंगा/लूंगी और न ही सहयोग करुंगा/करुंगी। इसमें लिप्त पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासन के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थियों के लिये निर्देश

1. महाविद्यालय परिसर में अनुशासनबद्ध रहना अनिवार्य है।
2. अध्ययन अवधि में बिना अनुमति के महाविद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है।
3. रैगिंग लेना अथवा रैगिंग में सहयोग करना दण्डनीय अपराध है।
4. छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय का फोन उपयोग करने की अनुमति नहीं है। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य की अनुमति से फोन का उपयोग किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय परिसर में यत्र–तत्र बैठना सर्वथा वर्जित है। छात्र/छात्रायें अध्यापन कक्ष, कॉमन रुम अथवा वाचनालय में ही बैठें।
6. महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राचार्य के समक्ष लिखित में प्रस्तुत करें।

निर्देशों का पालन नहीं होने पर प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।

आदेशानुसार

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

क्र.	समिति का नाम	संयोजक
(1)	अनुशासन समिति	प्रो. आर. पी. सिंह
(2)	छात्रसंघ एवं युवा उत्सव समिति	प्रो. आर. पी. सिंह
(3)	क्रीड़ा समिति	प्रो. गोपीश्वर साय
(4)	रेडक्रॉस	प्रो. गोपीश्वर साय
(5)	एन.सी.सी (प्रत्याशा में)	प्रो. गोपीश्वर साय
(6)	एन.एस.एस.	प्रो. गोपीश्वर साय

प्रवेश–शुल्क तालिका

2021 – 22

विवरण	स्नातक कला एवं वाणिज्य (भूगोल को छोड़कर)	स्नातक विज्ञान एवं भूगोल	कला स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर भूगोल
	शासकीय शुल्क			
शिक्षण शुल्क	118	138	129	149
	अशासकीय शुल्क PD			
अवधान राशि	60	100	100	100
संघ प्रवेश शुल्क	05	05	05	05
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	05	05	05	05
परिचय–पत्र शुल्क	15	15	15	15
महाविद्यालय विकास शुल्क	25	25	25	25
सायकल स्टैण्ड शुल्क	20	20	20	20
कॉमन रुम/वाचनालय शुल्क	20	20	20	20
विभागीय शुल्क	–	–	50	50
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	50	50	100	100
ग्रन्थालय परिचय–पत्र शुल्क	10	10	10	10
जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	25	25	25	25
युवा उत्सव शुल्क	25	25	25	25
	अशासकीय शुल्क, AF			
महाविद्यालय छात्रसंघ शुल्क	20	20	20	20
क्रीड़ा शुल्क	22	22	22	22
सम्मिलित निधि शुल्क	05	05	05	05
स्नेह सम्मेलन शुल्क	10	10	10	10
	अशासकीय शुल्क, UNIVERSITY			
चिकित्सा शुल्क	10	10	10	10
नामांकन शुल्क	100	100	100	100
युवा गतिविधि शुल्क	28	28	28	28
शारीरिक कल्याण शुल्क	160	160	160	160
विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
योग :	1883	1943	2034	2054

विशेष : रेडक्रॉस (स्वैच्छिक) राशि 25.00

अ.ज.जा./अ.जा./छात्राओं को नियमानुसार शुल्क में छूट मिलेगी।

महाविद्यालय परिसर में तम्बाखू,
पान, गुटखा, सिगरेट आदि
मादक पदार्थों का सेवन
सर्वथा वर्जित है।

CITIZEN CHARTER

रैगिंग दण्डनीय अपराध है
महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखें